उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– ९० / XXVII(7)02 / 2016
देहरादूनः दिनांकः २५ अप्रैल, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों / पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ते / महंगाई राहत की दरों को जुलाई, 2021 तक स्थगित (Freeze) किये जाने के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2020 से देय महंगाई भत्ते / महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दरों (17%) पर अग्रिम आदेशों तक भुगतान किया जाता रहेगा।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है तो 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा और उन्हें 01 जुलाई, 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर लिया जायेगा। 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

यह आदेश राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों / पेंशनभोगियों पर समान रूप से लागू होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– (1) / XXVII(7)02 / 2016, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग / सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय / उपक्रम के सम्बन्ध में उक्तानुसार अपने स्तर से आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर / देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।